

भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (ई), मुंबई-400096.



Government of India,
Ministry of commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai- 400096.

वेबसाइट: www.seepz.gov.in, ई-मेल: ddcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन: 022-28294770/57

कार्यालय आदेश सं. 405/2024

संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई द्वारा जारी फ़ा.सं. SEEPZ-SEZ/ADMN/460/15-16/VOL-IX दिनांक 13.11.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में श्री जय दीप और श्री सौरभ मीना दोनों निरीक्षक, सीजीएसटी और सीएक्स, मुंबई अंचल ने 22.11.2024 को एनसीटीसी, मुंबई से कार्यमुक्त होने के बाद 25.11.2024 (पूर्वाह्न) को सीपज़-सेज़ में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उपर्युक्त निरीक्षकों को सीपज़-सेज़ में प्राधिकृत अधिकारी (निवारक अधिकारी) के रूप में 9300-34800/- रुपये के वेतन बैंड और 4600/- रुपये के ग्रेड वेतन (पूर्व-संशोधित) पर विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सीपज़-सेज़ के कर्तव्यों और कार्यों को सौंपा जाता है।

प्रतिनियुक्ति और वेतन और भत्ते की शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार होगी। अधिकारी के पास अपना वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा।

अधिकारी को विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी किए गए 'कार्य आदेश' के अनुसार कार्य में भाग लेना होगा। मसौदा नियमों/प्रथा से किसी भी विचलन के लिए विकास आयुक्त के लिखित स्वीकृति आवश्यक होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


In pursuance of Office Memorandum F.No. SEEPZ-SEZ/Admn/460/2015-16/ Vol -IX dated 13.11.2024 issued by Joint Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai, **Shri Jai Deep** and **Shri Saurabh Meena** both Inspectors, CGST & CX, Mumbai Zone have joined SEEPZ-SEZ on 25.11.2024 (FN) consequent upon their relieving from NCTC, Mumbai on 22.11.2024.


The above mentioned Inspectors are hereby appointed as Authorised Officer (Preventive Officer) in SEEPZ-SEZ, in the Pay Band of Rs. 9300-34800/- with Grade pay of Rs. 4600/- (Pre-revised) in the office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ on deputation basis for a period of three (03) years and hereby assigned the duties and functions of SEEPZ-SEZ with immediate effect until further orders.

The terms of deputation and pay and allowance will be in accordance with Department of Personnel & Training O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17.06.2010 as amended from time to time. The Officers will have the option to draw his pay plus deputation allowance.

The officer shall attend the work as per the 'work order' issued by Specified Officer. Any deviation from extant rules/practice should be with prior written approval of Development Commissioner.

This issues with the approval of Competent Authority, SEEPZ-SEZ.


29/11/2024


29/11/2024

(जी. एस. भण्डारी/G.S. Bhandari)
सहायक विकास आयुक्त/Asstt. Development Commissioner
सीपज़-सेज, मुंबई /SEEPZ-SEZ, Mumbai

F. No. SEEPZ-SEZ/CUSTOMS/ADMIN/JR/87/2024-25/13283 दिनांक: 29.11.2024

प्रति,

1. श्री जय दीप, प्राधिकृत अधिकारी (निवारक अधिकारी), सीपज़-सेज, मुंबई
2. सौरभ मीना, प्राधिकृत अधिकारी (निवारक अधिकारी), सीपज़-सेज, मुंबई
3. अपर आयुक्त (CCA), केंद्रीय वस्तु व सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई ज़ोन
4. अपर संचालक प्रशासन, NCTC विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय, मुंबई
5. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़-सेज, मुंबई
6. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल
7. विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़-सेज
8. प्रशासनअनुभाग, सीपज़-सेज
9. एनएसडीएल
10. आईटी अनुभाग, सीपज़-सेज
11. लेखा अनुभाग, सीपज़-सेज
12. कार्यालय आदेश फ़ाइल
13. कार्यालय आदेश रजिस्टर